

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4 (23)लेखा / आकाशि / अनुदान / 2005-06 / 88

दिनांक: 15-7-05

प्रेषक,
महानिदेशक, विश्वविद्यालय
अजमेर

विषय- सत्र 2005-06 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनुमति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के आधार पर निदेशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय, सत्र 2005-06 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के समुख अंकित संलग्न/विषय हेतु तीन वर्ष के लिये अस्थाई अनुमति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	स्वीकृत संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/संलग्न
1	2	3	5
1	कामिनिहिशान ट्रस्ट संस्थान, 52/792, बेदर विहार सोहायटी अजमेर	हुकुमचन्द महिला नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, वेवर विहार सोहायटी, अजमेर	एम.एस.सी., (कम्प्यूटर्स साइंस)

- संस्था को तीन वर्ष की अवधि में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वयं की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचनाके कार्य भी पूर्ण करने होंगे । तत्पश्चात् संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा ।
- संस्था/महाविद्यालय को यूजी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
- अस्थाई-परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद् की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त, भवन उपलब्ध होना आवश्यक है । इसी प्रकार अगले वर्षों में चलाई जाने वाली कक्षाओं की लिए ट्यूटरियल कक्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धत प्रदान करने वाली विश्वविद्यालय की होगी ।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उधार संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त.कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमति लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध, आधारभूत सुविधाओं (यथ यूजी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यता प्राप्त नहीं होने पर आईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यता धारियों की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा के सम्बन्ध से पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत कराना आवश्यक होगा ।
- संलग्न/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संस्था शीघ्र में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
- संस्था द्वारा स्थायी.जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण, कराया जायेगा ।

Jand

Reeta

PRINCIPAL
Hukumchand Noble
Institute of Science & Technology
Danta, Beer Circle
Nasirabad Road, AJMER